न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा "न्याय आपके द्वार 2017" कैम्प अटल सेवा केन्द्र मामोर बईजलास प्रमोद कुमार सिन्धव (आर.ए.एस)

मिसल नंबर 90/15 दावा/बउनवान/नन्दूबाई/मांगीलाल /निर्णय दिंनाक 30.06.2017

बउनवान

1. नन्दूबाई पुत्री स्व0 मन्नालाल जाति कहार निवासी कलमण्डी तहसील कनवास।

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र लटूर जाति कहार निवासी ग्राम कलमण्डी तहसील कनवास।

उपस्थित :–

वादी स्वयं
प्रतिवादी के विरूद्व एक तरफा

उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि माल ग्राम सलोनिया पटवार हल्का मामोर तहसील सांगोद हाल तहसील कनवास में खसरा नंबर 553 की 0.57 है0, व खसरा नंबर 554 की 0.98 हे0, इस प्रकार कुल किता 02 की कुल रकबा 1.55 हैक्टयर कृषि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड में वादीनी के नाम से दर्ज है, उक्त कृषिभूमि कि सठवा उत्तरी तरफ प्रतिवादी के कब्जे की कृषि भूमि स्थित है, जिस पर प्रतिवादी कब्जे काश्त में है।
यह कि वादीनी अपने खाते की खसरा नंबर 553 की 0.57 है0, व खसरा नंबर 554 की 0.98 है0, कृषि भूमि में शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में होकर लगातार कब्जे काश्त में रही है।
यह कि पिछले वर्ष वादीनी ने तहसीलदार महोदय कनवास के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत की पैमाइश करने की प्रार्थना की थी, जिस पर तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर पैमाइश कर वादीनी को पत्थरगडी से निशानात कायम पर प्रतिवादी की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाया गया था।
यह कि उक्त पत्थरगडी करवाने के लगभग 8–10 दिन बाद प्रतिवादी ने पटवारी हल्का मौके पर करवाये गये निशानात को हटाकर वादीनी के खाते एवं कब्जे की खसरा नंबर 553 की 0.57 है0, कृषि भूमि में से उत्तर तरफ की 02 बीघा कृषि भूमि से कब्जा हटाकर वादीनी को कब्जा संभला देगा।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

यह कि दिंनाक 30.04.2015 को वादीनी ने प्रतिवादी से वादीनी की कब्जा की गई कृषि भूमि से कब्जा हटाने को कहा, तो पहले तो वह आश्वासन देता रहा, बाद में उसने साफ तौर पर मना कर दिया, व कहा कि मै तुम्हारी भूमि से कब्जा नंही हटाउंगा, तुम्हारी इच्छा हो सो कर लो, साथ ही धमकी भी दी, यदि ज्यादा नाटक किया तो बाकी की जमीन भी हांक लूंगा। प्रतिवादी द्वारा किये गये कथन से वादीनी को यह विश्वास हो गया है, कि प्रतिवादी वादीनी की जमीन को छोडना नंही चाहता है, व जबरन कब्जा बनाये रखना चाहता है। इसलिए वादीनी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादी के विरूद्व कृषि भूमि से बेदखली का वाद प्रस्तुत करें, यही इस वाद की विषय वस्तु है।

वादनी द्वारा पुनः अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि माल ग्राम सलोनिया पटवार हल्का मामोर तहसील कनवास के खसरा नंबर 553 की 0.57 है0, कृषि भूमि में से उत्तरी तरफ की प्रतिवादी द्वारा कब्जा की गई 02 बीघा भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादीनी को दिलाया जावे।

वादनी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी की गई, प्रतिवादी बावजूद सूचना होने से उसके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई।

बहस एक तरफा सुनी गई पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत मामोर में प्रस्तुत हुई। हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं दस्तावेंजो का अवलोकन किया गया। जिससे यह प्रतीत होता है कि वादनी नन्दूबांई के हिस्से आराजी माल ग्राम सलोनिया पटवार हल्का मामोर की खसरा नंबर 553 की रकबा 0.57 हे0, कृषि भूमि पर प्रतिवादी मांगीलाल द्वारा अवैधानिक रूप से प्रवेश कर कब्जा किया गया है।

जिससे हम इस निष्कर्श पर पहुंचते हैं कि वादनी के आराजी माल ग्राम सलोनिया पटवार हल्का मामोर तहसील कनवास के खसरा नंबर 553 की 0.57 है0, कृषि भूमि में से उत्तरी तरफ की प्रतिवादी द्वारा कब्जा की गई 02 बीघा भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादनी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः वाद वादनी स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि कि वादनी के आराजी माल ग्राम सलोनिया पटवार हल्का मामोर तहसील कनवास के खसरा नंबर 553 की 0.57 है0, कृषि भूमि में से उत्तरी तरफ की प्रतिवादी द्वारा कब्जा की गई 02 बीघा भूमि से प्रतिवादी को बेदखल किया जाता है तथा उक्त भूमि का कब्जा वादनी को सम्भलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निर्णयानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिंनाक 30.06.2017 को मजमेआम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

प्रमोद कुमार सिन्धव
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा "न्याय आपके द्वार 2017"

कैम्प अटल सेवा केन्द्र मामोर बईजलास प्रमोद कुमार सिन्धव (आर.ए.एस)

मिसल नंबर 90/15 दावा/बउनवान/नन्दूबाई/मांगीलाल /निर्णय दिंनाक 30.06.2017

बउनवान

1. नन्दूबाई पुत्री स्व0 मन्नालाल जाति कहार निवासी कलमण्डी तहसील कनवास।

बनाम

2. मांगीलाल पुत्र लटूर जाति कहार निवासी ग्राम कलमण्डी तहसील कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं 90/15 सन 2015 निर्णय दिंनाक 30.06.2017 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी स्वंय एवं प्रतिवादी के विरूद्व एक तरफा मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि वादनी के आराजी माल ग्राम सलोनिया पटवार हल्का मामोर तहसील कनवास के खसरा नंबर 553 की 0.57 है0, कृषि भूमि में से उत्तरी तरफ की प्रतिवादी द्वारा कब्जा की गई 02 बीघा भूमि से प्रतिवादी को बेदखल किया जाता है तथा उक्त भूमि का कब्जा वादनी को सम्भलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्तनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X .. खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरहत ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.06.2017 को जारी की गई।

मोहर ....

(मुहर: कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा))

प्रमोद कुमार सिन्धव
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज0))

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ""	------NIL------		स्टाम्प वकालतनामा ""	------NIL------	
स्टाम्प वकालतनामा ""			स्टाम्प अर्जी ""		
स्टाम्प वजह सबूत ""			महनताना वकील ""		
महनताना वकील ""			खर्चा गवाहान ""		
खर्चा गवाहान ""			फीस कमिश्नर ""		
फीस कमिश्नर ""			बाबत इजराय हुकमनामा ""		
बाबत इजराय हुकमनामा ""			मुतफर्रिक ""		
मुतफर्रिक ""			मीजान ""		
मीजान ""					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

प्रमोद कुमार सिन्धव
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास